ग्राम पंचायत, अजरौली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के
लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018 तक
भाग-I

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत अजरौली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

(i) प्रधान

क्रमांक	प्रधान का नाम	कार्यकाल
1	श्री सुरेश कुमार	01.04.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्रीमती चन्द्रकला	23.01.2016 से 31.03.2018 तक

(ii) सचिव

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री किरपा राम	01.04.2015 से 31.03.2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत अजरौली के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि (₹)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने के कारण शेष में अन्तर	5(i)	0.28
2	गृहकर वसूली हेतु शेष	6(ii)	0.39
3	गृहकर वसूली से प्राप्त आय को जमा न करना	6(iii)	0.04
4	प्राप्त आय को पंचायत कोष में विलम्ब से जमा करना	6(iv)	0.11
5	अनुदानों की राशी उपयोग हेतु शेष	7	22.40
6	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	8	3.29
7	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	10	3.29
8	निर्माण कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन से अधिक का भुगतान	11	0.30
9	मनरेगा योजना के अन्तर्गत खर्च राशि को रोकड़ बही में	12	79.19

	दर्ज न करना		
10	उचित बिल के बिना राशि का अनियमित आहरण/सम्भावित दुर्विनियोजन	13	0.93
11	उचित बिल प्राप्त किये बिना कच्ची रसीद व् GR Note पर किया गया लाखों रूपये का अनियमित व्यय/भुगतान	14	3.29
12	बिना बिल/वोचेर्स के राशि का अनियमित आहरण	16(iv)	2.69

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत **अजरौली**, विकास खण्ड **शिलाई,** ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **07.08.2018 से 23.08.2018 तक** के दौरान ग्राम पंचायत **अजरौली** के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं का विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	03/2016	01/2016
2016-17	06/2016	03/2017
2017-18	07/2017	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत अजरौली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/शिलाई/2018-19-12 दिनांक **23.08.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत **अजरौली** से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा {**परिशिष्ट-1**} के माध्यम से अंकेक्षण को प्रस्तुत सुचना के अनुसार ग्राम पंचायत अजरौली की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है : –

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	**869360.03**	**2422734.00**	**3292094.03**	**2279567.00**	**1012527.03**

2016-17	**1012527.03**	**6548829.80**	**7561356.83**	**5910111.00**	**1651245.83**
2017-18	**1651245.83**	**8643833.00**	**10295078.83**	**8055384.40**	**2239694.43**

नोटः-1. सचिव ग्राम पंचायत अजरौली द्वारा स्वयं के स्त्रोत का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-"क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है, जिसके कारण स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित वितीय स्थिति को अलग से प्रस्तुत करना सम्भव न हो सका ।

नोटः-2. रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.28 लाख का अन्तर

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के अन्त शेष में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार ₹**27,765.10** का अन्तर पाया गया| हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः|वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

क्रमांक	**विवरण**	**राशि (₹)**	**परिशिष्ट**
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**2239694.43**	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार अन्तिम शेष	**2211929.33**	2
3.	कुल अन्तर	**27765.10**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	**बैंक का नाम**	**बचत खाता नं0**	**01.04.2015 को शेष जमा (₹)**	**31.03.2018 को शेष जमा (₹)**
सामान्य निधि	HPSCB, Ronhat	57810100206	533892.79	1187379.33
14th FC	---do---	57810102137	------	954560.00
BRGF	SBOP, Panog	65080861484	284063.00	69762.00
IAY	---do---	55135570672	51404.24	------
MMAY	HPSCB, Ronhat	57810103613	------	228.00
कुल जमा राशि			**869360.03**	**2211929.33**

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा **रोकड़ बही** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है अर्थात इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई अंतिम शेष दर्शाया गया था तथा ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन-देन, रोकड़ बही व बैंक में जमा शेष

राशि पंचायत द्वारा तैयार आय-व्यय तालिका तथा तुलन पत्र इत्यादि की पूर्ण सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी जिसके कारण रोकड़ बही में अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए |

6 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय

(i) गृहकर वसूली दरें सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित न करना

ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर वसूली की अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण का प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही गृह कर की प्रतिवर्ष निरन्तर वसूली की जा रही थी जैसा कि आगामी पैरा 6(ii) में दी गई तालिका से स्वतः ही स्पष्ट है| यद्यपि सचिव ग्राम पंचायत अजरौली ने पत्र **क्रमांक:GP/Ajrauli/Shilai/-2018-19-13** दिनांक 23.08.2018 सूचित किया कि द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की वसूली ₹50 प्रतिवर्ष की दर से की गई है |अतः गृहकर की वसूली दरों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित व इसकी निरन्तर वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार गृहकर की वसूली दरों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करने के उपरान्त ही गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए I

(ii) गृहकर ₹0.39 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

सचिव ग्राम पंचायत, अजरौली द्वारा के पत्र **क्रमांक:GP/ Ajrauli/Shillai/2018-19-13** दिनांक 04/08/2018 के **क्रमांक 2** के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की **₹38,500** की राशि वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर (₹)	कुल कर (₹)	प्राप्त राशि(₹)	शेष राशि (₹)
01.04.15	**House tax due**				**Nil**
2015-16	309	50	15450	10700/-	4750
2016-17	327	50	16350	------	21100
2017-18	348	50	17400	------	38500
			गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि		**38500**

(iii) गृहकर से प्राप्त ₹0.04 लाख को पंचायत निधि में जमा न करना

चयनित माह 02/2016 में आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 226317 से 226387 {₹50 प्रति रसीद} द्वारा गृहकर से प्राप्त ₹3,500 की राशि पंचायत निधि में जमा नहीं पाई गई जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिसका या तो पूर्ण छानबीन उपरान्त औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि को सम्बन्धित से नियमानुसार दण्ड ब्याज सहित शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(iv) गृहकर से प्राप्त ₹0.11 लाख को पंचायत निधि में विलम्ब से जमा करना

चयनित माह में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की निम्नतालिकानुसार गृहकर से प्राप्त आय को **49 दिन** के लम्बे अन्तराल तक अपने पास रखने के उपरान्त पंचायत कोष में जमा करवाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित तथा पंचायत निधि का अस्थायी दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है| अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि पर विलम्ब अवधि हेतु नियमानुसार दण्ड ब्याज की वसूली करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य में प्राप्त आय को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

रसीद संख्या	**प्राप्त आय (₹)**	**प्राप्ति तिथि**	**पंचायत कोष में जमा करने की तिथि**	**जमा करने में विलम्भ {दिवस}**
226103-200	4900/-	11.02.16	31.03.2016	49 दिन
226201-300	5000/-	11.02.16	31.03.2106	49 दिन
226301-316	800/-	11.02.16	31.03.2016	49 दिन
कुल राशि	**₹10700/-**			

(v) मांग एवम प्राप्ति पञ्जीका का संधारण न करना

सचिव, ग्राम पंचायत **अजरौली** द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व् 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित “मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय वास्तविक प्राप्ति व शेष का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | उपरोक्त नियम की अनुपालना करते हुए **“मांग एंवम वसूली पंजिका”** का तुरन्त उचित संधारण करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन हानि की सम्भावना को नकारा जा सके|

7 अनुदान राशि ₹22.40 लाख का उपयोग न करना

पंचायत सचिव द्वारा यथा **(परिशिष्ट-1)** के माध्यम से उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹22,39,694** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन हुआ है वही इस राशि के समयानुसार उपयोग के फलस्वरूप होने वाले लाभों से ग्रामीणों को भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान या सक्षम अधिकारी से प्राप्त समयावधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति के भीतर उसी प्रायोजन हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिन उद्देश्यों हेतु इसे स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.29 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार उप समिति का गठन किये बिना तथा कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही निम्नतालिकानुसार **₹3,28,765** की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3)(a) 67(4) व 67(5) के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण अनियमित हैI अतः वर्णित अनियमितता को जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सामग्री का क्रय/व्यय विहित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये : –

दिनांक	बिल सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय सामग्री का विवरण	राशि (₹)
General Fund-{माह-03/2017}				
05.03.17	GR-399	Chauhan Trp. Ronhat	4 Cum Sand	9200/-
02.03.17	GR-390	------do------	7000 bricks	70000/-
08.03.17	369	Rana Engineering	Door/Windows	21375/-
29.03.17	313	Chauhan Hardware	234 kg Steel	11600/-
------	कच्ची रसीद	Dula Ram/Kalu Ram	Shuttering ***	24000/-
21.03.17	GR-498	Chauhan Trp. Ronhat	8Cum Aggrigate	20000/-
General Fund-{माह-02/2018}				
01.02.18	212	Chauhan Hardware	490 kg steel	19600/-
------	कच्ची रसीद	Tulsi Ram/Rayiya	15 Cum Stone	14250/-
03.01.18	GR-442	Chauhan Trp. Ronhat	5 Cum Sand	12500/-
MNREGA-03/2017				
01.02.17	GR-309	Chauhan Trp. Ronhat	20 Cum Sand	37200/-
01.02.17	GR-323	------do-----	10 Cum Agg.	11200/-
02.02.17	GR-318	------do-----	18 Cum Sand	30240/-
04.02.17	GR-321	------do------	10 Cum Agg.	11200/-
05.02.17	GR-322	------do------	20 Cum Sand	36400/-
			कुल भुगतान	**328765/-**

{*उपरोक्त वाउचर पर शटरिंग की उपलब्ध करवाई गई मात्रा व् दर नहीं दर्शायी गई थी }**

9 जे०सी0बी0 संविदाकार के बिलों से संवैधानिक कटौतियां किए बिना ₹0.68 लाख का भुगतान करना

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी भाड़े से सम्बन्धित ठेकेदार के बिलों से संवैधानिक कटौतीयां, जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** किये बिना ही चयनित माह 02/2018 में **निर्माण कार्य खेल मैदान GHS, जास्वी** हेतु 14thFC अनुदान से ₹**68,400** का भुगतान किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है, जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में नियमानुसार वैधानिक कटौतीयों के उपरान्त ही संविदाकार को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा उक्त पैरा संख्या: 8 में वर्णित क्रय निर्माण सामग्री की मदों का उपयोग स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही किया जा रहा था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है | अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में उपरोक्त नियम का निरन्तर पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए |

11 निर्माण कार्यों के निष्पादन में तकनीकी मूल्यांकन से अधिक ₹0.30 लाख की मजदूरी का व्यय/भुगतान करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों में निम्नतालिका में दिए गए विवरणानुसार तकनीकी मूल्यांकन से अधिक मजदूरी **₹30,299** का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है I अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	मजदूरी भुगतान राशि (₹)	मजदूरी की मुल्यांकित राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1). निर्माण बांउड़ी, नुवाड़ी-14thFC स्वीकृत राशि:-₹70000			
4191/53-54	28980/-	22682/-	6298/-
2).साँझा प्रांगण, हरयास-MLA स्वीकृत राशि:-₹100000			
4191/23-24	36360/-	32781/-	3579/-
3).नि. पक्की गली, SC बस्ती चियाठी-14th FC स्वीकृत राशि:-₹80000			
4191/50	31710/-	20428/-	11282/-
4). Drainage Work Vill. Thundadi-14th FC स्वीकृत राशि:-₹100000			
4191/52	40530/-	31390/-	9140/-
मूल्यांकित राशि से अधिक भुगतान {1+2+3+4}			**30299/-**

12 मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय ₹79.19 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करना

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई **Online Financial Statements** के अनुसार अंकेक्षण अवधि में निम्नतालिकानुसार ₹**79,19,117** का व्यय/भुगतान किया गया था तथा जिसे रोकड़ बही में दर्ज न करना **हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 की** स्पष्ट अवहेलना है I वर्णित रोकड़ बही के अभाव में

मनरेगा की ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स द्वारा दर्शाए गए वार्षिक भुगतान/प्राप्ति को आधार मानकर पंचायत की वितीय स्थिति तैयार की गई है |अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए : –

वर्ष	मजदूरी (₹)	सामग्री (₹)	कुल भुगतान (₹)
2015-16	948576/-	448327/-	1396903/-
2016-17	2002220/-	1123942/-	3126162/-
2017-18	2079837/-	1316215/-	3396052/-
Total	**5030633/-**	**2888484/-**	**7919117/-**

13 बिना उचित बिल के ₹0.93 लाख का अनियमित आहरण व् सम्भावित दुर्विनियोजन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 02/2018 में चोहद्वें वितायोग के अन्तर्गत मस्ट्रोल संख्यां:98, 99, **{रोकड़ पृष्ठ-13}** तथा 100 **{रोकड़ पृष्ठ-14}** के विरुद्ध क्रमशः **₹28,980, ₹31,710 तथा ₹18900** की राशि का आहरण किया गया था जबकि उक्त मस्ट्रोल बिल वर्ष 2017-18 की वाउचर नस्ती में उपलब्ध नहीं थे I इसी प्रकार **रोकड़ बही के पृष्ठ-13** पर **₹13,500** की राशि का आहरण दर्शाया था **जबकि वाउचर नस्ति में श्री सही राम** द्वारा **हस्ताक्षर किया गया कोरा कागज** ही पाया गया |इस सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:GP(Audit)/Shillai/Ajrauli/ 2018-19-4 दिनांक 21 .08.2018 के क्रमांक (6) द्वारा अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ I अतः बिना उचित बिल/वाउचर के राशि का तैयार व् पारित किये बिना किया गया आहरण अनियमित एवं संदिग्ध प्रतीत होता है जिस बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा व्यय/भुगतान वास्तविक न पाए जाने की स्थिति में राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

14 नियमानुसार उचित बिल प्राप्त किये बिना कच्ची रसीद व् Goods Receipts Note पर ₹3.29 लाख का अनियमित व्यय/भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रावधानों के प्रतिकूल पंचायत द्वारा **उपरोक्त पैरा संख्या:8 में वर्णित `₹328765 की** रेत, बजरी व् पत्थर इत्यादि की खरीद का भुगतान आपूर्तिकर्ता को उचित बिल की अपेक्षा **कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद या Goods Receipts Note{GR}** को पारित करके दर्शाया गया था, जोकि अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः वर्णित अनियमितता की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जाँच करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से **उक्त भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों से सम्बन्धित उचित बिल**

प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

15 मस्ट्रोल बिलों का प्रतिपादित नियमों के अनुसार अभिलेखन व् अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा मस्ट्रोल बिलों का अभिलेखन व् अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shillai/Ajrauli/-2018-19-4 दिनांक 21.08.2018 के क्रमांक (7) व् (8) पर दर्ज आपति के प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या:GP/Ajrauli/Shilai/2018-19-14 दिनांक 23.08.2018 के क्रमांक (7) व् (8) द्वारा उक्त वर्णित नियमानुसार वांछित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है |अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वर्णित अभिलेख का रख-रखाव नियमानुसार ही करना सुनिश्चित किया जाए |

16 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i) निर्माण कार्यों पर खर्च राशि से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन तकनीकी मुल्यांकन इत्यादि अभिलेख

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी मुल्यांकन कार्य, पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये| इसके अतिरिक्त सचिव ग्राम पंचायत अजरौली ने पत्र क्रमांक:GP/Ajrauli/Shillai/2018-19-12 दिनांक 23.08.2018 द्वारा चयनित माह से सम्बन्धित विकास कार्यों के बारे में अधूरी सूचना उपलब्ध की गई अर्थात क्रमांक 1,2,व् 4 पर दर्शाए गए व्यय का तकनीकी मूल्यांकन, क्रमांक 8,9, 11 से 30 तथा 33 से 43 पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों पर अंकेक्षण अवधि के दौरान खर्च राशि का ब्यौरा, क्रमांक 14 से 43 पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त राशि तथा क्रम संख्यां 23, 24, एवं 36 से 43 तक हेतु स्वीकृत राशि का ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है ।

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उक्त निर्माण कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकन करवाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा मुल्यांकन पश्चात यदि कोई अनियमिता/ अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख

मनरेगा योजना से सम्बन्धित अभिलेख जैसे **कार्य मांग पञ्जीका {Demand Register}, जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्टर रोल्स जारी करने का रजिस्टर, निर्माण सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके कारण मनरेगा के अन्तर्गत व्यय राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अतः अपेक्षित समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

(iii) इंदिरा आवास योजना की रोकड़ बही

इंदिरा आवास योजना की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि उक्त निधि के बचत बैंक खाते के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार ₹**44,100** जमा तथा ₹**95,294.24** का आहरण हुआ था |अतः उक्त निधि से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा पत्र संख्या:GP/Ajrauli/Shilai/2018-19-14 दिनांक 23.08.2018 के क्रमांक (4) अनुसार अपेक्षित समस्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए : –

दिनांक	**विवरण**	**जमा राशि (₹)**	**आहरण राशि (₹)**
01.04.2015	**Opening Balance**	**51404.24**	
30.06.2015	Interest credited	1020.00	------
29.09.2015	To Transfer	------	9683.00
05.12.2015	By transfer	37500.00	------
31.12.2015	Interest credited	1066.00	------
07.01.2016	To Transfer	------	37500.00
07.04.2016	To Transfer	------	34700.00
19.04.2016	By transfer	3800.00	------
25.05.2016	Interest credited	560.00	------
15.07.2016	To Transfer	------	3800.00
25.08.2016	Interest credited	116.00	------
01.10.2016	To Transfer	------	9573.00
25.11.2016	Interest credited	38.00	------
18.08.2017	To Transfer	------	38.24
	Total Amount	**₹44100**	**₹95294.24**

(IV) बिना बिल/वाउचर के ₹2.69 लाख की राशि का अनियमित आहरण/भुगतान

चयनित माह के व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नतालिका में दर्शाए गए **₹2,69,400** के आहरण/भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा ऐसे में दर्शाया गया व्यय/भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता हैI इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP (Audit)/Shilai/Ajrauli/2018-19-4 दिनांक 21.08.2018 के क्रमांक 5 व् 9 के प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत अजरौली ने **पत्र संख्या:GP/Ajrauli/Shilai/2018-19-14 दिनांक 23.08.2018 के क्रमांक 5 व् 9** द्वारा **यह स्पष्ट किया कि उक्त व्यय वाउचर सम्बन्धित से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, जोकि सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता** |अतः वर्णित **अनियमितता विभाग के उचाधिकारियों के संज्ञान** में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित

कार्यवाही करने हेतु लाई जाती है तथा यदि **अंकेक्षण अवधि के दौरान बिना व्यय वाउचर के राशि आहरण की गई पाई जाती है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली** सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

दिनांक	**विवरण**	**राशि (₹)**	**रोकड़ बही पृष्ठ**
	{14th FC}		
02/2018	नि. खेल मैदान GHS,जास्वी- JCB	68400	14
	{MGNREGA}		
15.02.2018	भू.संरक्षण सम्पर्क मार्ग जास्वी	126000	OFS
---do---	कच्चा जोहड़, बादों बिन्दोली	25000	-do-
---do---	कच्चा जोहड़, थुडारी	25000	-do-
---do---	कच्चा जोहड़, आरर थाच	25000	-do-
	Total Payment:-	**₹2694000**	

{OFS:- Stands for Online Financial Statements}

(V) रोकड़ बही तथा बिल/वाउचर को प्रधान से सत्यापित व् पारित न करवाना

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की अवधि 01.04.2015 से 22.01.2016 तक तथा BRGF की अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक की रोकड़ बही तथा व्यय वाउचर पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित व् पारित किए नहीं पाए गए |अतः इस सन्दर्भ में **पत्र संख्या:GP/Ajrauli/Shilai/2018-19-14 दिनांक 23.08.2018 के क्रमांक (2)** द्वारा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(vi) अंकेक्षण ज्ञापन द्वारा **मांगी गई सूचना अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:GP(Audit)/Shillai/Ajrauli/2018-19-1 दिनांक 07.08.2018 द्वारा अपेक्षित निम्नलिखित सूचना अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई;

(1). अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सभी निधियों की आय-व्यय तालिकाएँ |

(2). वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के बजट प्राक्कलन |

(3). बैंक समाधान विवरणी |

(4). स्थायी स्टॉक सूची |

(5). अंकेक्षण अवधि के दौरान उपयोग में लाई गई तथा 31.03.2018 को शेष रसीद बुकों की सूची |

(6). अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:GP(Audit)/Shillai/Ajrauli/2018-19-4 दिनांक 21.08.2018 के क्रमांक (10) द्वारा आपेक्षित अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सभी रसीदें

17 पंचायत निधि से नेट रिचार्ज हेतु ₹0 . 10 लाख का संदिग्ध व्यय

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 82 पर दिनांक 04.09.2015 को श्री सुरेन्दर सिंह, रोनहाट को Net Recharge हेतु **₹9,700** का भुगतान दर्शाया गया था जोकि विक्रेता के उचित बिल की अपेक्षा कोरे कागज की रसीद पर होने के कारण अनियमित व् संदिग्ध प्रतीत होता है |इसके अतिरिक्त उक्त व्यय/भुगतान बारे व्यय वाउचर पर कोई भी विवरण दर्ज नहीं था जैसे कि उक्त भुगतान किस अवधि से सम्बन्धित है तथा प्रतिमाह किस Number/ DATA CARD/ पर कितने का रिचार्ज किया गया है इत्यादि और वर्णित व्यय /भुगतान प्रधान द्वारा भी सत्यापित व् पारित नहीं किया गया था I अतः

वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि का आहरण वास्तविक/सही न पाए जाने की स्थिति में इसकी सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके पंचायत निधि की भरपाई की जाए |

18 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय-व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है जोकि अंकेक्षण से सम्बन्धित अवधि के तैयार व् पारित नहीं किए गए थे **{पत्र संख्या:GP/Ajrauli/Shillai/2018-19-11 दिनांक 23.08.2018 क्रमांक(8)}**| जिसके कारण पंचायत द्वारा, किया गया समस्त व्यय अनियमित है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार व् पारित करवाकर तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

19 प्राप्त अनुदान राशि की सम्बन्धित विभाग को रसीद जारी न करना

पंचायत के लेखाओं का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि प्राप्त अनुदान राशियों **{मुख्यतः RTGS/Online बैंक प्राप्तियों}** के लिए रसीद जारी नहीं की जा रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय/अनुदान के लिए विहित प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है |अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्राप्त राशि हेतु विहित प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाए |

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, जोकि गम्भीर अनियमितता है| अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये : –

क्रमांक रजिस्टर/अभिलेख का नाम

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर |
9. स्टेशनरी रजिस्टर |

10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर |
11. इन्वेंटरी रजिस्टर |

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी I अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

22 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह पृथकता से जारी नही की गई थी तथा सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

23 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है|

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)36/2018 खण्ड–1–8537–8540 दिनांक 31.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत अजरौली, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881